(9)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

रामदेव बनाम बद्रीलाल वगै0

किस्म मुकदमा:– **कन्टेम्पट प्रार्थना–पत्र** मिसल नं0 **2017/503 (gcms no. 2017/00503)**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुये
24/04/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी उपस्थित। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस प्रार्थना पत्र कंटेम्पट पर सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कन्टेम्पट प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की न्यायालय उपखण्डअधिकारी नैनवा जिला बून्दी के आदेश दिनांक 29.05.2017 के विरुद्ध दिनांक 05.06.2017 को पेश की गई थी, जिसको दर्ज रजिस्टर किया जाकर स्थगन प्रार्थनापत्र पर एकतरफा बहस सुनी गई, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07.06.2017 को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना स्थगित एवं कब्जे की स्थिति को यथावत रखने का आदेश पारित किया जाकर पत्रावली रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु दिनांक 07.07.2017 की पेशी नियत की नई, तथा दिनांक 07.06.2017 से ही निरन्तर स्थगन आदेश को प्रत्येक पेशी पर बढाया जाता रहा है। अपील रामदेव बनाम बद्रीलाल वगैरहा में रेस्पोडेन्ट नं0 6 व 7 को तलबी होने पर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा माननीय न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करवाकर वकालतनामा भी पेश कर दिया गया है, तथा पत्रावली में रेकार्ड की तलबी हेतु आगामी पेशी 07.11.2017 दी गई और आगामी पेशी तक स्टे बढ़ा दिया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.08.2017 को जारी किये गये स्थगन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना को दिनांक 15.09.2017 तक स्थगित रखने का आदेश दिया गया था, उसके बावजूद भी दिनांक 09.09.2017 की रात को अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा अन्य लोगों के साथ मिलकर जबरन ताकत के बल पर जमीन को हांक दिया है, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.09.2017 को थाना करवर में दर्ज करवाई, जिस पर अप्रार्थीगण को पाबन्द कर दिया गया था, परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक	

25.09.2017 की रात को पुनः जमीन को हांक दिया है, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त आराजी पर दिनांक 15.09.2017 से आगामी पेशी 07.11.2017 तक स्टे बढाया हुआ है, इस प्रकार अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 15.09.2017 में कब्जे की यथास्थिति करने के बाद भी प्रार्थी की जमीन को हांक दिया जो कि माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना है, तथा अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा किया गया उक्त कृत्य कन्टैम्पट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आता है, जिसके लिये अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को दण्डित किया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिपक्षी को माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना के लिये दण्डित किए जाने एवं प्रतिपक्षीगण की चल अचल सम्पति को कुर्क कर जप्त किए जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब कन्टेम्पट प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दाहराते हुए निवेदन किया कि अपील विषयक आराजी खसरा नम्बर 230 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा का प्रतिपक्षी रिकॉर्डेड खातेदार, टीनेन्ट व काबिज काश्तकार निरंतर चला आ रहा है। प्रतिपक्षी द्वारा माननीय न्यायालय के किसी भी आदेश की कोई अवहेलना नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा केवल मिथ्या कथन अंकित करते हुए प्रश्नगत कन्टेम्प्ट प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिपक्षी द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की कभी अवहेलना नहीं की गई है। प्रतिपक्षी का कृत्य कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में नहीं आता है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत कन्टेम्प्ट प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है। अन्त में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत कन्टेम्प्ट प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया व अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कन्टेम्पट प्रार्थना पत्र तथा अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब कन्टेम्पट प्रार्थना पत्र व पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दिनांक 09.09.2017 को वादग्रस्त भूमि को जबरन हांक दिए जाने का कथन किया है। प्रार्थी का कथन है कि न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 15.09.2017 में कब्जे की यथास्थिति का आदेश होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की जमीन को हांक दिया गया जो कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन

में न्यायालय तहसीलदार नैनवां में प्रस्तुत इस्तगासा अन्तर्गत 107, 151 सी.आर.पी.सी. तथा थानाधिकारी करवर जिला बून्दी को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की है। प्रार्थी रामदेव द्वारा थानाधिकारी करवर को सम्बोधित प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.07.2017 एवं भिन्न–भिन्न दिनांक को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों में अप्रार्थीगण के कब्जा करने पर आमादा होने का कथन किया गया है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 13.09.2017 में ग्राम अरनेठा की खसरा नम्बर 230 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा भूमि पर खातेदार देवलाल, बद्रीलाल का कब्जा काश्त होने का अंकन है तथा मौके पर उनके द्वारा फसल बोई जाने का अंकन है। साथ ही उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 13.09.2017 में खातेदारान के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा नहीं होने का अंकन है। चूंकि न्यायालय हाजा द्वारा वादग्रस्त भूमि के मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति का आदेश पारित किया गया है तथा वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी रामदेव का कब्जा नहीं होकर खातेदारान देवलाल एवं बद्रीलाल का कब्जा है, अतः प्रार्थी रामदेव का अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी को जबरन हांकने का कथन विश्सनीय प्रतीत नहीं होता है। हस्तगत प्रार्थना–पत्र में अंकित अपने कथनों के समर्थन में प्रार्थी/अधिवक्ता अथवा प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी को अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित कथनों को ठोस दस्तावेज/साक्ष्यों द्वारा साबित किया जाना आवश्यक है परन्तु प्रार्थीया ने हमारे समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे विवादित भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का अंतरण तथा मौके की स्थिति में परिवर्तन अथवा खुर्द बुर्द किया जाना प्रमाणित होता हो। अधिवक्ता प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अपने द्वारा कहे गये तथ्यों को सिद्ध करने में असफल रहे हैं। अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कन्टेम्पट प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कन्टेम्पट प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो व नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/4/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा